



सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
CENTRAL COALFIELDS LIMITED
दरभंगा हाउस, कचहरी रोड, रांची - 834029, झारखण्ड
Darbhanga House, Kutchery Road, Ranchi – 834029, Jharkhand

मूल रूप से हिंदी पत्राचार / टिप्पण/ आलेखन व अन्य कार्यालयीन कार्य करने संबंधी प्रोत्साहन योजना

1.0 शीर्षक:

1.1 इस योजना को "मूल रूप से हिंदी में पत्राचार / टिप्पण / आलेखन व अन्य कार्यालयीन कार्य करने संबंधी प्रोत्साहन योजना" कहा जाएगा।

2.2 उद्देश्य:

2.1 इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में सीसीएल के कार्मिकों को सरकारी काम - काज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है।
(संदर्भ - कार्यालय ज्ञापन सं. 12013/01/2011 - रा.भा. नीति दिनांक 14 सितम्बर 2016, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार)

3.0 योजना की व्याप्ति:

3.1 यह योजना सीसीएल में पदस्थ सभी नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू होगी।

4.0 अवधि:

4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान प्रतिभागी कार्मिकों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का आंकलन किया जाएगा।

5.0 पात्रता:

5.1 सभी श्रेणियों के अधिकारी/ गैर- अधिकारी स्तर के कार्मिक, जिनके द्वारा कार्यालयीन कार्य में मूल रूप से हिंदी में पत्राचार / टिप्पण/ आलेखन किया जाना अपेक्षित है, इस योजना में भाग ले सकते हैं। किंतु आशुलिपिक/ निजी सचिव/ सहायक जो हिंदी प्रोत्साहन संबंधी इस तरह की किसी अन्य योजना में पहले ही भाग ले रहे हैं, वे इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही हिंदी कैडर के कार्मिक, जो सामान्यतः अपना कार्य हिंदी में ही करते हैं, वे भी इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

6.0 मूल्यांकन मापदंड:

6.1 इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हिंदी में किए गए कार्यालयीन कार्य की मात्रा के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे।

6.2 हिंदी में किए गए कार्यालयीन कार्य में पत्राचार/ टिप्पण / आलेखन के अतिरिक्त आवेदन फार्म, व्यक्तिगत दावे आदि भरना/ रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टियां करना आदि कार्य शामिल होगा।

6.3 कार्मिकों द्वारा कम्प्यूटर पर हिंदी में किया गया कार्य भी इसमें शामिल होगा।

6.4 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन के माध्यम से कराया गया कार्य भी कार्यालयीन कार्य में शामिल होगा।

(राज्य)

6.5 इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान अनुमोदित नोट/ड्राफ्ट में प्रयुक्त हिंदी शब्दों की संख्या के आधार पर अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी भी प्रेरणा स्रोत के रूप में पुरस्कार के पात्र होंगे। किंतु एक समय में एक ही पुरस्कार के लिए दावा किया जा सकता है। अर्थात् वे मूल रूप से हिंदी पत्राचार/टिप्पण/आलेखन करने के लिए या प्रेरणा स्रोत के रूप में एक ही पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

7.0 पुरस्कार:

7.1 इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नानुसार न्यूनतम पत्राचार/टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में लिखने वाले कार्मिक पुरस्कार पाने के पात्र होंगे। कार्मिक द्वारा हिंदी में किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर निम्नानुसार राशि या उतनी राशि का उपहार पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा।

ग्रुप 'क'

ग्रुप 'क' - उन कार्मिकों के लिए है, जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उडिया, बोडो, मणिपुरी अथवा असमिया है।

| क्र.सं. | पत्राचार/टिप्पण/आलेखन की संख्या | स्थान | पुरस्कार राशि | अधिकारियों/कर्मचारियों की सं. | कुल व्यय राशि |
|---------|--|---------|---------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 100 से 120 | तृतीय | 2,000/-रूपये | दो | 4,000/- रूपये |
| 2 | 121 से 150 | द्वितीय | 3,000/-रूपये | दो | 6,000/- रूपये |
| 3 | 151 से अधिक | प्रथम | 5,000/-रूपये | दो | 10,000/- रूपये |
| 4 | 91 % - 100 % कार्य हिंदी में (न्यूनतम 200 पत्राचार/टिप्पण/आलेखन) | | 6,000/-रूपये | एक | 6,000/- रूपये |
| कुल | | | | | 26,000/- रूपये |

ग्रुप 'ख'

ग्रुप 'ख' - उन कार्मिकों के लिए है, जिनकी मातृभाषा कॉलम ग्रुप 'क' से इतर कोई अन्य भाषा है।

| क्र.सं. | पत्राचार/टिप्पण/आलेखन की संख्या | स्थान | पुरस्कार राशि | अधिकारियों/कर्मचारियों की सं. | कुल व्यय राशि |
|---------|---|---------|---------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 120 से 150 | तृतीय | 2,000/-रूपये | दो | 4,000/- रूपये |
| 2 | 151 से 180 | द्वितीय | 3,000/-रूपये | दो | 6,000/- रूपये |
| 3 | 181 से अधिक | प्रथम | 5,000/- रूपये | दो | 10,000/- रूपये |
| | 91 % -100 % कार्य हिंदी में (न्यूनतम 200 पत्राचार/टिप्पण/आलेखन) | | 6,000/- रूपये | एक | 6,000/- रूपये |
| कुल | | | | | 26,000/- रूपये |

२०३०

इस प्रकार दो वर्गों में एक वित वर्ष में पुरस्कार पर कुल $26,000 \times 2 = 52,000/-$ (बावन हजार रूपये) का व्यय होगा।

- 7.2 एक पत्र / टिप्पणि/ आलेखन में हिंदी में शब्दों की न्युनतम संख्या 50 (पचास) होनी चाहिए। 50 से कम हिंदी शब्द होने पर हिंदी पत्राचार / टिप्पणि/ आलेखन के रूप में गणना नहीं की जाएगी।
- 7.3 पत्राचार की गणना करते समय मूल पत्राचार / टिप्पणि/ आलेखन अर्थात् भिन्न विषयों के आलेखों की गणना की जाएगी। एक समान मुद्रित या छायांकित (जेरोक्स) प्रारूप का प्रयोग करने पर केवल हस्तालिखित शब्दों की गणना की जाएगी जिसकी कम से कम संख्या एक पृष्ठ पर 50 होनी चाहिए।

8.0 प्रेरणा स्रोत पुरस्कार

इसके तहत वे वरीय अधिकारी जो प्रस्तावित नोट के ऊपर टिप्पणी देते हैं या उसका अनुमोदन करते हैं, पुरस्कार पाने के पात्र होंगे।

| स्थान | अनुमोदित टिप्पणि/आलेखन में प्रयुक्त हिंदी शब्दों की संख्या | पुरस्कार राशि | पुरस्कार की संख्या |
|-------|--|---------------|--------------------|
| 1 | 1000 से 2000 शब्द | 5,000/- रूपये | एक |
| 2 | 2001 से 3000 शब्द | 6,000/- रूपये | एक |
| 3 | 3001 से अधिक शब्द | 7,000/- रूपये | एक |

प्रेरणा स्रोत पुरस्कार के तहत एक वित वर्ष में कुल $(7,000 + 6,000 + 5,000) = 18,000/-$ (अठारह हजार रूपये) का व्यय होगा।

- 8.1 वर्ष के दौरान उपर्युक्त मात्रा में हिंदी में कार्य करने वाले सभी कार्मिक पुरस्कार के पात्र होंगे पुरस्कार राशि का भुगतान सीसीएल के राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा। उक्त पुरस्कर नकद/ चेक/ ईएसएस या वस्तु रूप में प्रदान किए जाएंगे।

9.0 योजना का प्रबंधन:

- 9.1 इस योजना का संचालन वार्षिक आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा।
- 9.2 पात्र एवं इच्छुक कार्मिक विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में हिंदी पत्राचार/ टिप्पणि/ आलेखन संबंधी सूचना का रिकार्ड राजभाषा विभाग को विचारार्थ उपलब्ध कराएंगे।
- 9.3 उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों के संबंध में पुरस्कार का निर्णय करने के लिए निदेशक (का.) के अनुमोदन से मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राजभाषा विभाग के प्रभारी अधिकारी तथा कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं किसी तकनीकी विभाग से एक-एक अधिकारी शामिल होंगे, तथापि अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर निर्णयक मण्डल के गठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। पुरस्कार के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा व पुरस्कार राशि का भुगतान निदेशक (का.) के अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा।
- 9.4 प्रतिभागी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का रिकार्ड संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-1) में मासिक आधार पर रखा जाएगा, जिसे अगले उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापित व प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर

रिकार्ड,

15 दिन के अंदर अर्थात् 15 अप्रैल तक प्रत्येक प्रतिभागी वर्ष के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का रिकार्ड अपने नियंत्रण अधिकारी से सत्यापित करवा कर संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से राजभाषा विभाग को भेजेगा, तदोपरांत मूल्यांकन समिति द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

- 9.5 विभागाध्यक्ष/ महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक आदि जैसे उच्च अधिकारी अपने दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सीधे राजभाषा विभाग को भेजेंगे।
- 9.6 उपर्युक्त पैरा- 9.3 में उल्लिखित मूल्यांकन समिति द्वारा प्रतिभागियों से उनके द्वारा वर्ष के दौरान हिंदी में किया गया कार्य देखने के लिए मंगवाया जा सकता है तथा पुरस्कार प्राप्त होने वाले कार्मिकों द्वारा किये गये कार्य का पीडीएफ फर्म में 03 (तीन) वर्षों तक रखा जाएगा। प्रोफार्मा जैसी छपी हुई सामग्री/ फोटो स्टेट किए हुए फार्म या अन्य सामग्री इस योजना में पुरस्कार के प्रयोजन से हिंदी में किए गए कार्य के तौर पर शामिल नहीं किए जाएंगे।

10.0 सामान्य:

- 10.1 सीसीएल मुख्यालय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए निदेशक (कार्मिक) के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है।
- 10.2 मूल रूप से हिंदी में पत्राचार/टिप्पण/आलेखन व अन्य कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने संबंधी प्रोत्साहन योजना 01 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगी।

आवेदन फार्म

सीसीएल में लागू मूल रूप से हिंदी में पत्राचार/ टिप्पण/ आलेखन व अन्य कार्यालयीन कार्य करने संबंधी प्रोत्साहन योजना के पैरा 9.2 और 9.4 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के दौरान हिंदी में कार्यालयीन कार्य करने के लिए नकद पुरस्कार का दावा (क्लेम) प्रस्तुत करने संबंधी फार्म :

| | | |
|---|----------------------|--|
| 1 | आवेदक कार्मिक का नाम | |
| 2 | पदनाम | |
| 3 | कर्मचारी सं. | |
| 4 | विभाग का नाम | |
| 5 | कार्मिक की मातृभाषा | |

घोषणा

मैं दावा / घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च, की अवधि के दौरान हिंदी में किए गए कार्य की मात्रा है। मैंने अपना % कार्यालयीन कार्य हिंदी में किया है जिसका ब्यौरा संलग्न अनुलग्नक -I में प्रस्तुत है। यह सूचना मेरी जानकारी और पूर्ण विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। मैं मूल्यांकन समिति द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर संबंधित रिकार्ड प्रस्तुत कर दूँगा / दंगी।

हस्ताक्षर :

कार्मिक का नाम :

पदनाम :

दिनांक :

अग्रेषण

उक्त प्रोत्साहन योजना के पैरा 9.4 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित कार्मिक के द्वारा हिंदी में किए गए कार्य के रिकार्ड पर मेरे द्वारा स्वयं निगाह रखी गई है और उपर्युक्त दावा सही है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर :

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर :

पदनाम :

दिनांक :

सीसीएल में मूल रूप से हिंदी में पत्राचार/टिप्पण/आलेखन व अन्य कार्यालयीन कार्य करने संबंधी प्रोत्साहन योजना के
लिए वर्ष के दौरान किए गए कार्य का व्यौरा।
(1 अप्रैल से 31 मार्च.....तक)

1. आवेदक कार्मिक का नाम :
2. कर्मचारी संख्या :
3. पदनाम :
4. विभाग का नाम व इंटरकॉम नं. :
5. मातृभाषा :

| क्र.सं. | वर्ष के लिए | रजिस्टर/ फाइल संदर्भ | कार्य-विवरण (इसके अन्तर्गत हिंदी पत्राचार/टिप्पण/ आलेखन सहित वर्ष के दौरान प्रस्तुत व्यक्तिगत दावे/कागजातों की कुल संख्या अथवा कार्यपालकों के मामले में उनके द्वारा दिए गए डिक्टेशन अथवा हिंदी में अनुमोदित नोट/ड्राफ्ट में प्रयुक्त शब्द संख्या का उल्लेख करें।) | कुल कार्य की तुलना में हिंदी में किए गए कार्य की प्रतिशतता | नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1 | अप्रैल | | | | |
| 2 | मई | | | | |
| 3 | जून | | | | |
| 4 | जुलाई | | | | |
| 5 | अगस्त | | | | |
| 6 | सितम्बर | | | | |
| 7 | अक्टूबर | | | | |
| 8 | नवंबर | | | | |
| 9 | दिसंबर | | | | |
| 10 | जनवरी | | | | |
| 11 | फरवरी | | | | |
| 12 | मार्च | | | | |
| हिंदी में किए गए कुल कार्य : | | | | | |

नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर :

कार्मिक का हस्ताक्षर